केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
Under Ministry of Education, Govt. of India
Website : https://rolucknow.kvs.gov.in/

पत्रांक 26230(पेंशन अदालत)/2022-23/क्षे.का. लखनऊ/ 43958

दिनांक -13.03.2023
(ई-मेल द्वारा)

सूचना (Notice)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली के पत्र संख्या F.110230(Misc.)2022-KVS(HQ)/P&I/2144 दिनांक 10.03.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि पेंशनभोगियों की शिकायतों का, वर्तमान पेंशन नीति/ नियम /दिशा-निर्देशों की सीमा के अन्तर्गत तुरंत निपटान करने के लिए मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह में देशव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन (ऑनलाइन माध्यम से) किया जाना है। **क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी।**

इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के ऐसे सभी पेंशनभोगियों, जिनके PPO के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा जारी किये गये हैं, से अनुरोध है कि यदि इस संबंध में उनकी कोई शिकायत हो तो संलग्न प्रपत्र में भरकर, आवश्यक दस्तावेजों सहित क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की ई-मेल **pensionadalatkvsrolko@gmail.com** में दिनांक **20.03.2023 अपराह्न 02.30 बजे तक** प्रेषित करें एवं यदि शिकायत केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली स्तर से संबंधित हो तो दिनांक **15.03.2023 सायं 05:30 बजे तक** प्रेषित करें।

यह भी सूचित किया जाता है कि इस पेंशन अदालत के अन्तर्गत केवल उन्हीं शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा जो कि वर्तमान पेंशन नीति/ नियम /दिशा-निर्देशों आदि की सीमा (within the purview of extant Pension Policy/ Rules/ Guidelines etc.) में आती हैं।

दिनांक 22 मार्च 2023 को ऑनलाइन माध्यम से होने वाली पेंशन अदालत का लिंक संबंधित पेंशनभोगी शिकायतकर्ता की ई-मेल पर प्रेषित कर दिया जाएगा।

(देवेन्द्र कुमार द्विवेदी)
उपायुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
Under Ministry of Education, Govt. of India
Website : https://rolucknow.kvs.gov.in/

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

FIT INDIA FREEDOM RUN 2.0

Azadi Ka Amrit Mahotsav
Fit India Freedom Run 2.0
13th Aug - 2nd Oct

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

पत्रांक 26230(पेंशन अदालत)/2022-23/क्षे.का. लखनऊ/ 43897-43957 दिनांक -13.03.2023

(ई-मेल द्वारा)

प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
लखनऊ संभाग

विषय - **माह मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली देशव्यापी पेंशन अदालत के संबंध में।**

संदर्भ - के.वि.सं. (मु0), नई दिल्ली का पत्रांक F.110230(Misc.)2022-KVS(HQ)/P&I/2144 दिनांक 10.03.2023 (प्रति संलग्न)

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली से प्राप्त उक्त संदर्भित पत्र संलग्न करते हुए सूचित किया जाता है कि पेंशनभोगियों की शिकायतों का, वर्तमान पेंशन नीति/ नियम /दिशा-निर्देशों की सीमा के अन्तर्गत तुरंत निपटान करने के लिए माह मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह में देशव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन (ऑनलाइन माध्यम से) किया जाना है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक **22 मार्च 2023** को पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय का संलग्न पत्र एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी सूचना/Notice (संलग्न) अपने विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें एवं विद्यालय के पेंशनभोगियों के मध्य साझा करें, जिससे वे अपनी शिकायत, यदि कोई हो, संलग्न प्रपत्र में भरकर, आवश्यक दस्तावेजों सहित ई-मेल **pensionadalatkvsrolko@gmail.com** में दिनांक **20.03.2023** तक प्रेषित कर सकें / शिकायत यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली स्तर से संबंधित हो तो दिनांक **15.03.2023** तक प्रेषित कर सकें।

भवदीय

संलग्नक – यथोपरि।

(देवेन्द्र कुमार द्विवेदी)
उपायुक्त

प्रतिलिपि -

1. सहायक आयुक्त, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना (Notice) को इस कार्यालय की वेबसाइट पर "Announcement" शीर्ष के अन्तर्गत अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी वित्त अनुभाग, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त

केन्द्रीयविद्यालयसंगठन (मु.)/
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18 संस्थागतक्षेत्र/18 Institutional Area,
शहीदजीतसिंहमार्ग/Shaheed Jeet Singh Marg,
नईदिल्ली – 110016/New Delhi -110016
दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570
Email-pensionkvshq@gmail.com

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

F.110230(Misc)2022-KVS(HQ)/P&I / 2144 Dated - 10.03.2023

The Deputy Commissioner/Director,
Kendriya Vidyalaya Sangathan,
All Regional Offices/ZIETs

Subject: Conduct of Nation-wide Pension Adalat to be held in the third week of March, 2023-reg.

Madam/Sir,

With reference to the Ministry of Education letter No. 17-07/2022-UT.1 (INS-5) dated 20th Feb, 2023 vide which DO letter dated 05th Jan, 2023 of Dept. of Pension & Pensioners' Welfare has been forwarded directing all the organizations to conduct a Nation-wide Pension Adalat during third week of March, 2023 for prompt resolution of pensioners' grievances, within the framework of extant policy/ guidelines.

In view of the above, all the Regional Offices/ZIETs need to conduct the Pension Adalat in the third week of March, **preferably on or before 24.03.2023**. It is advised that in the first instance, a Notice to this effect that pension Adalat will be conducted in the third week of March, 2023, should be published in the website of Regional Offices. It should also be mentioned in the said Notice that the aggrieved pensioners may submit their grievances to the Regional Offices/ZIETs through e-mail. Thereafter, the grievances received may be examined in your office and taken up in the Pension Adalat to be organized through **Digital Technology** only in the third week of March, 2023 (SOP attached). It may be noted that only those grievances are to be taken up in the said Adalat which fall within the purview of extant Pension Policy/Rules/Guidelines etc. **The Family Pension cases and those cases pending from the last Adalat should be given Top Priority.** In case, the Grievance is to be resolved by KVS(HQ), the same should be forwarded to KVS (HQ) at email ID pensionadalatkvshq@gmail.com latest by 17.03.2023 along with comments of RO.

The contents of this letter should be circulated among all the KVs under your jurisdiction and a copy of this letter should also be published on the official website of all the Regional Offices and KVs for information of pensioners under your jurisdiction. After conducting the said Adalat, the required information may be submitted to this office in the enclosed format by **29th March, 2023** through email (pensionadalatkvshq@gmail.com) only for onward submission of the consolidated information by KVS(HQ) to Dept. of Pension & Pensioners' Welfare.

Encl: As above

Yours sincerely

10.3.23
(Satya Naraian Gulia)
Joint Commissioner (Fin.)

Copy to:

1) The Deputy Commissioner (EDP) KVS(HQ) with the request to upload the letter on KVS website under the head ' Announcement'.

Joint Commissioner (Fin.)

केविसं. क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

पेंशन अदालत में शिकायत प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

1	नाम		सेवानिवृत्ति के समय पदनाम:	
2	सेवानिवृत्ति के समय पदस्थ केवि. का नाम			
3	PPO No.			(कृपया प्रतिलिपि संलग्न करें)
4	ई-मेल एवं मोबाइल नं.			
5	पत्राचार का पता			
6	शिकायत का विवरण			